बारे में और उस स्कीम में संस्कृत को पुन: प्रतिष्ठित करा कर प्रत्येक विद्यार्थी को संस्कृत में रुचि लेने के लिये प्रोत्साहित करेंगे।

DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER: Sir, this supplementary question is linked up with the basic problem, the problem of the language formula. Whether there will be two languages or three languages. All these questions are there. Now, already, in any case, we have the three-language formula and the students are burdened with the study of three languages. If, in addition, they have to study a fourth language, Sanskrit, they might be over-burdened. Therefore, I find that in many States the study of Sanskrit which was compulsory in our days is now made optional. This is the practical problem regarding Sanskrit that we are facing throughout the country. We have to study the mother-tongue, then Hindi as the Rashtra Bhasha, and then some other language, and, in addition to that, if we are to study Sanskrit, that might put a great burden on the student. That is one of the difficulties which the people who love Sanskrit are facing in different States.

सम्मानार्थ उपाधियों का दिया जाना

*20. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा सम्मानार्थ उपाधियां प्रदान करने की विधि पर सरकार द्वारा पुनर्विचार किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस विषय पर परामर्श देने के लिये शिक्षाविदों की एक समिति गठित करने का विचार रखती है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) तथा (ख) का उत्तर हां, हो तो इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिय जाने की संभावना है ?

†[**Awarding of degrees** *Honoris Causa*

*20. SHRI PRAKASH VEER SHASTRI: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the mode of awarding degrees *Honoris Causa* by the Central universities is being reconsidered by Government;

(b) if so, whether Government propose to form a committee of educationists for advise on this subject; and

(c) if the replies to parts (a) and (b) above be in the affirmative, by when a final decision is likely to be taken in this regard?]

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चुन्द्र) : (क) सम्मानार्थ उपाधि प्रदान करने की प्रक्रिया केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की अपनी-अपनी संविधियों में निर्धारित की गई है। इन संविधियों से संबंधित किसी भी संशोधन को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्वयं विश्वविद्यालयों द्वारा किया जा सकता है।

(ख) और (ग) प्रनश नहीं उठता।

†[THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): (a) The procedure for award of degrees Honoris Causa is prescribed in the Statutes of the respective

†[ ] English translation.

Central Universities. Any amendment to these Statutes can be brought about by the Universities themselves in accordance with the prescribed procedure.

(b) and (c) Do not arise.]

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : श्रीमन्, मैंने यह प्रश्न इस दृष्टि से किया था कि पीछे कुछ इस प्रकार की घटनायें घटी कि लोगों ने अपने राजनीतिक पदों का लाभ उठाते हुए चौथी और पांचवी क्लास पास वालों ने भी डाक्ट्रेट की उपाधियां लीं और सरकारी कर्मचारियों को आदेश दिया कि हमारे नाम के साथ यह डाक्टर शब्द अवश्य लगाया जाय। इस तरह से विश्वविद्यालयों द्वारा जो सम्मानित उपाधियां दी जाती है उनका दुरुपयोग होता है। मैं चाहता हूं कि शिक्षाविदों का एक सम्मेलन बुलाकर भविष्य के लिये कोई पद्धति या परम्परा निर्धारित करें, इस दिशा में शिक्षा मंत्रालय क्या सोच रहा है ?

DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER: Sir, the Honourable Member has touched a very sore point in our public life because politics actually teaches every aspect of our life. I could appreciate the apprehensions that he expressed before this august House. As at present, different universities have different rules contained in their statutes concerning the award of these degrees, and there are already some checks and balances in these statutes. Any change in the statutes can be sponsored by the universities themselves. Of course, these matters may come up before the visitor, and the Education Department will act as the Secretariat for the Visitor who is the Acting President at the present moment. If these matters actually come up before the visitor, then only the Education Ministry, can intervene. Otherwise, universities being outonomous bodies, this is somewhat difficult at the present moment.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं शायद अपनी बात पूरी तरह समझा नहीं पाया। मेरा कहना यह है कि इसमें सन्देह नहीं कि विश्वविद्यालय स्वायत्त शासी संगठन है, लेकिन स्वायत्त संगठनो के लिये भी कोई नीतियां होती है उन नीतियों में शिक्षा मंत्रालय कोई गाइड लाइन दे सकता है, रेखा निर्धारित तो कर सकता है कि जो सम्मानार्थ उपाधियां इस प्रकार से दी जायें उनके लिये यह मापदण्ड होना चाहिये। अगर अब तक नही है तो भविष्य के लिये आप कुलपतियों का कोई सम्मेलन बुला कर, देश के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्रियों का सम्मेलन बुलाकर किसी निश्चय पर तो पहुंचें, मैं यह चाहता हूं।

DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER: As I already said—perhaps, it was not clear—as the Act stands at the present moment, the Central Government has no direct control over the State universities and with regard to Central universities also the Government is bound by the Acts. Of course, the Acts may be changed, and if it is the suggestion of the Honourable Member that we should change the Acts, the suggestion might be looked into.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : युनिवर्सिटी ग्रांट्स डायरेक्ट शिक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत आता है। युनिवर्सिटी ग्रांटस कमीशन तो प्रान्तों के विश्वविद्यालयों को पैसा भी देता है तो यह कहना कि वे स्वायत्त शासी संगठन हैं या उन का शिक्षा मंत्रालय से सीधा संबंध नहीं है, यह जिम्मेदारी से भागना है। नियम अगर अब तक नहीं बनाये तो आगे के लिये कोई रेखायें खीचिये कि इस प्रकार से जो उपाधियां दी जाती हैं उन का दुरुपयोग न हो सके।

DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER: Sir, I have already stated the present statutory position. The Honourable Member may himself give some

concrete suggestion how we can have this matter changed. As you know, Sir, education is now a Concurrent Subject. So, these matters can be gone into by the Central Government and the Honourable Member himself may also initiate some private legislation in this behalf.

SHRIMATI SUMITRA G. KULKARNI: Sir, if I have understood the Honourable Minister correctly, there appears to be no consistent policy followed in this matter by each university. If that be so, Sir, will the Honourable Minister, as suggested by the Honourable Member, Shri Prakash Veer Shastri, at least now consider appointing a commission or some senior educationist of this country for deciding as to how the *Honoris Causa* degrees could be awarded and evolve a uniform policy, because it is admitted that in the previous years a number of such awards have been taken or given to people who are not quite worthy of that honour. I will not say that they were not, but still that is questionable and we may not go into that matter. But, it is very essential that we should not avoid this problem and we should face it squarely with the University Grants Commission also. And, particularly now that it is a Concurrent Subject, it is the greater responsibility of the Education Ministry to tackle this issue and straighten it up once and for all. Will the hon. Minister assure this House that he will seriously consider this proposal?

DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER: Sir, it has been repeated several times that the universities are autonomous bodies and in their statutes, the procedure for conferment of honorary degrees differ. And yesterday in my statement, I have made it clear before this august House that the Government has no intention to interfere unduly with the autonomy of the universities. We believe that these universities are run by responsible people. So, if in any particular case, there is something to complain about, that might be agitated elsewhere rather than in this august House.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : श्रीमन्, मंत्री महोदय ने अभी तक जो विभिन्न प्रश्नों के संबंध में जवाब दिया है उससे साफ जाहिर है कि यह जनता पार्टी की सरकार के मिनिस्टर का जवाब नहीं है बल्कि किसी लिबरल पार्टी के मिनिस्टर का जवाब है। मंत्री महोदय इस बात को अवाइड करना चाहते हैं कि वह शिक्षा के मामले में कोई रेडिकल सुधार की बात सोच रहे हैं या नहीं। मंत्री महोदय, यह स्वीकार करते हुए कि एजुकेशन अब कंस्टीटयूशन मे कोंक्रेंट सब्जेक्ट हो गया है, कोई नीति निर्धारण की बात नहीं कर रहे हैं। अभी तक 30 साल में भारत सरकार शिक्षा के मामले में कोई नीति निर्धारण करने में असफल रही है।

श्री उपसभापति : आपका प्रश्न उस प्रश्न में नहीं उठता। उसी प्रश्न से संबंधित अपना प्रश्न पूछिये।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वह इस संबंध में कोई गाइडेंस राज्य सरकारों को और विभिन्न विश्वविद्यालयों को देने को तैयार हैं? स्वायत्त संस्थाओं का गाइडेंस दी जा सकती है, डाइरेक्टिव दी जा सकती है। एजुकेशन मिनिस्टर को यह पूरा-पूरा अधिकार है कि स्वायत्त संस्थाओं को और विभिन्न विश्वविद्यालयों को अपनी गाइडेंस दें। मंत्री महोदय इस संबंध में कोई डैफिनेट गाइडेंस विश्वविद्यालयों को देने की बात सोच रहे हैं ताकि इसका दुरुपयोग न हो? कुछ ऐसे अफसर दूसरे ऐसे कुछ लोग डी० लि० और पी० एच० डी० की डिग्रियां ले आते हैं जो कि डिजर्व नहीं करते।

DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER: I do not disagree with the hon. Member when he says that guidelines can be indicated. Certainly guidelines

can be formulated and suitable suggestion given. But where I disagree with him is when he says that the Janata Party has not indicated its educational policy. In fact, in my statement before you, Sir, I have indicated this policy and I have stated that we would lay more emphasis on the removal of illiteracy rather than on higher education. Of course, higher education is very important. But, at the same time, we notice that more than 200 million people are still illiterate. Therefore, this Government in pursuance of its declared policy will lay more emphasis on fundamental education.

SHRI NAGESHWAR PRASAD SHAHI: What about removal of corruption in universities?

श्री उपसभापति : अगला प्रश्न डा० लोकेश चन्द्र ।

इंस्टीट्यूट ग्राफ अडवांस्ड स्टडीज, शिमला पर किया गया व्यय

*21. **डा० लोकेश चन्द्र** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1976–77 के वर्ष के दौरान इंस्टीट्यूट ग्राफ अडवांस्ड स्टडीज, शिमला पर विशेष कर विद्वानों ग्रौर भवन के रख रखाव पर किये गये मासिक व्यय का ब्यौरा क्या है ?

†[**Expenditure incurred on the Institute of Advanced Studies, Simla**

*21. DR. LOKESH CHANDRA: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state the details of the monthly expenditure incurred on the Institute of Advanced Studies, Simla, particularly on scholars and maintenance of the building during the year 1976-77?]

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [देखिये परिशिष्ट 100 अनुपत्र संख्या 2]

†[THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): A statement is laid on the Table of the House. (*See* Appendix C, Annexure No. 2)].

डा० लोकेश चन्द्र : माननीय मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहूंगा कि यह जो विवरण उन्होंने दिया है इसमें जो व्यय के अन्दर कुछ समस्यायें हैं उन का उल्लेख नहीं है, अगस्त 76 में संस्थान में आग लगाने का प्रयास किया गया था और उस आग लगाने की जांच जब पुलिस विभाग ने की और उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की उसमें उन्होंने यह कहा कि यह आग इसलिये लगाई गई क्योंकि उस में 30–35 हजार रु० का गोलमाल है। यह प्रतिवेदन शासन को भी भेजा गया है क्या मंत्री महोदय इस पुलिस जांच के प्रतिवेदन को सदन में प्रस्तुत करने के लिये तैयार है या इस पर कोई टिप्पण करने को तैयार हैं ?

उप सभापति जी मेरा एक निवेदन और है। माननीय मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी होगी कि श्री सी० डी० देशमुख जी की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी जिसने इंस्टीट्यूट ग्राफ एडवांस्ड स्टडीज, शिमला के बारे में एक बहुत लम्बी रिपोर्ट लिखी थी। जहां तक मुझे जानकारी है इस रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस संस्थान के बारे में श्री सी० डी० देशमुख

†[ ] English translation.